विधानसभा अता. प्रश्न क्र. 762

परिशिष्ट

प्रश्न सं. [क्र. 762]

डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल एम. पी. 2 डब्ल्यू-पी/505/98.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन एम. पी. 2/भो-122/98

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 515] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 सितम्बर 1998—भाद्र 24, शक 1920

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 1998

क्र. एफ. 4-6-96-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 4-6-96-आठ, दिनांक 25 सितम्बर 1997 को अतिष्ठित करते हुये राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों द्वारा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की निम्नलिखित स्कीम के अधीन बैंक/निगम से उधार लेने के पश्चात् क्रय किए गए यानों को यान के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दो वर्ष के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन देय कर के संदाय से छूट देती है, ऐसी छूट उक्त प्रवर्ग के ऐसे व्यक्तियों के लिए भी ग्राह्य होगी जिसके यान इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व रजिस्ट्रीकृत हो चुके थे, परन्तु यान उसी व्यक्ति के स्वामित्व में हो जिसने उधार लेने के पश्चात् यान क्रय किया है तथा यान चालू परिस्थिति के हैं, अर्थात् :—

1. सहकारिता विभाग के अधीन यान ऋण स्कीम.

2. मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के अधीन निम्नलिखित आर्थिक तथा स्वरोजगार स्कीम.

(1) मिनी ट्रक स्कीम, चरण एक,
(2) मिनी बस स्कीम चरण एक,
(3) जीप टेक्सी स्कीम चरण एक,
(4) जीप टेक्सी स्कीम अतिरिक्त चरण,
(5) आटोरिक्शा स्कीम चरण-दो,
(6) जीप टेक्सी स्कीम, चरण दो,
(7) आटोरिक्शा स्कीम, चरण दो,
(8) ट्रक स्कीम, चरण एक,
(9) मिनी बस स्कीम, चरण दो,

(10) बस स्कीम, चरण एक,
(11) मिनी ट्रक स्कीम, चरण दो,
(12) ट्रेक्टर ट्राली स्कीम, चरण एक,
(13) जीप टेक्सी स्कीम, चरण तीन,
(14) जीप टेक्सी स्कीम, चरण चार,
(15) ट्रेक्टर ट्राली स्कीम, चरण दो,
(16) ट्रेक्टर ट्राली स्कीम, चरण चार,
(17) मिनी ट्रक स्कीम, चरण तीन,
(18) मिनी बस स्कीम, चरण एक,

3. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अधीन निम्नलिखित स्कीम :—

(1) स्वरोजगार स्कीम
(2) पवनपुत्र स्कीम आटोरिक्शा,
(3) एकता स्कीम (1) मिनी ट्रक,
(2) मिनी बस जीप टेक्सी,
(4) ट्रेक्टर ट्राली एम्बेसेडर डीजल कार,

4. मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम के अधीन निम्नलिखित स्कीम,

परिवहन क्षेत्र, मोटर कार, आटोरिक्शा, कार, जीप, टेक्सी, मिनी ट्रक, मिनी बस.

5. मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित प्रधान मंत्री रोजगार स्कीम.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. टी. एक्का, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 1998

फा. क्र. एफ. 4-6-96-आठ.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 15 सितम्बर 1998 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. टी. एक्का, उपसचिव.

Bhopal, the 15th September 1998

No. F. 4-6-96-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) and in supersession of this department Notification number F. 4-6-96-VIII dated the 25th September 1997 the State Government hereby exempts the vehicles purchased by the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and minority community, after taking the loan from Bank/Nigamunder the following schemes of the State Government or Central Government, from the payment of the tax payable under Section 3 of the said Adhiniyam for two years from the date of registration of the vehicle. Such exemption shall also be admissible to the persons of the said categories whose vehicleswere registered before the publication of this notification, provided that the vehicles must be in the ownership of the same person who purchased the vehicle after taking loan and the vehicle is in running condition, namely :—

1. Vehicle loan schemes under Co-operation Department.

विधान सभा अता० प्र० क्र. 762

परिशिष्ट — 'क'

डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल म. प्र. वि.पू.भु./04 भोपाल 03-05

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र. 108/भोपाल/03-05

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249] भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 अप्रैल 2003—वैशाख 10, शक 1925

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2003

क्र. एफ. 22-254-2001-आठ.—राज्य शासन द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4-6-96-आठ, दिनांक 15 सितम्बर 1998 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :—

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अधीन बैंकों/वित्तीय संस्थाओं जिनका उल्लेख विभागीय अधिसूचना दिनांक 15 सितम्बर, 1998 में किया गया है, के अधीन प्रदाय किये गए वाहनों को मोटरयान कर के भुगतान से 2 वर्ष की पूर्ण छूट के स्थान पर वाहन के पंजीयन के दिनांक से 4 वर्ष तक मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 3 के अधीन देय कर की राशि में 50 प्रतिशत की छूट एतद्द्वारा प्रदान की जाती है तथा इन वाहनों को मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की अनुसूची के मद चार के उप मद (ड) के अधीन देय मोटरयान कर के संदाय से पंजीयन तिथि से चार वर्ष हेतु पूर्णतः मुक्त रखा जाता है. यह संशोधन उन वाहनों पर लागू होगा जो इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के उपरांत पंजीकृत होंगे.

No. F-22-254-2001-VIII.—The State Government hereby makes the following amendment in the departmental notification No. F-4-6-96-VIII, dated 15th September, 1998:—

The State Government hereby exempts the vehicles purchased by the persons belonging to Schedule Castes, Scheduled Tribes, other backward classes and minority community after taking loan from Bank/Nigam under the schemes Notified in the departmental notification dated 15th August 1998 from the payment of fifty percent tax payable under Section 3 of the Adhiniyam for four years from the date of registration of the vehicle. These vehicles shall be completely exempted from the payment of Motor Vehicle Tax as mentioned in the first schedule of Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991, item (N) for four years. This amendment shall be applicable only on the vehicles registered after publication of this notification.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. पी. अरोरा, सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.